
“वसीयत या विल” पर बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र.१. वसीयत (या विल) क्या होती है ?

- उ. वसीयत एक ऐसा लिखित पत्र है, जो एक व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु होने के बाद दो गवाहों की उपस्थिति में उसकी इच्छा के अनुसार उसके परिवार वालों, रिश्तेदारों, बाहरी व्यक्तियों, या चैरिटी आदि को उसकी सम्पत्ति, पूँजी, धन, के बंटवारे से जुड़े सभी मामलों के लिए लिखा जाता है ।

प्र.२. वसीयत बनाने के क्या लाभ हैं ?

- उ. वसीयत बनाकर एक व्यक्ति अपनी मृत्यु होने के बाद अपने परिवारवालों को विवाद, और कानूनी उलझनों में फँसाए बिना अपनी पूँजी और संपत्ति के बँटवारे को खुद की इच्छा के अनुसार सुनिश्चित कर सकता है (या आश्चस्त हो सकता है)। इसके अलावा, यदि एक व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार/वारिस को अधिक हिस्सेदारी देना चाहता है या किसी खास व्यक्ति को उसकी पूँजी और सम्पत्ति में से कुछ भी नहीं देना चाहता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए वसीयत ही एक मात्र और प्रभावी दस्तावेज है । उदाहरण के लिए – अंगों को दान करना, पत्नी को फ्लैट देना, किसी खास बेटे/बेटी को अधिक/कम सम्पत्ति देना, माता पिता या देखभाल करने वाले/दोस्तों को कुछ राशि देने की इच्छा जाहिर करना । ऐसी इच्छाएं वसीयत में व्यक्त की जाती हैं जो सभी के लिए यानि परिवार, रिश्तेदारों, सभी कानूनों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समेत सभी न्यायालय के लिए मान्य होती हैं ।

प्र.३. यदि मैं अपनी वसीयत न बनाऊं तो क्या होगा ?

- उ. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, बिना वसीयत बनाए (जिसे वैधानिक भाषा में ‘निर्वसीयत’ कहा जाता है) हो जाती है तो मरने वाले की सभी सम्पत्तियां, पूँजियाँ, और धन, उस पर लागू उत्तराधिकार के कानून यानि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बांटी जाती है । व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के उत्तराधिकार के कानून में, सभी/कई परिवार के सदस्यों के लिए संपत्ति के बंटवारे का अनुपात निश्चित होता है जो कि हो सकता है कि उसकी इच्छा के विपरीत हो । संपत्ति के बंटवारे में देरी हो सकती है और कई बार यह भाई बहिन, दो भाइयों, माँ बेटों के बीच झगड़े का कानूनी मामला भी बन सकता है ।

प्र.४. कौन कौन वसीयत बना सकता है ?

- उ. कोई भी मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति यानि जो अपने कार्यों को समझने में सक्षम है और किसी भी अनुचित प्रभावों से मुक्त है, जिसकी आयु १८ वर्ष से अधिक है वह वसीयत बना सकता है।

प्र.५. क्यों किसी व्यक्ति को किसी भी उम्र में वसीयत बना लेनी चाहिए और बुढ़ापे का इन्तजार नहीं करना चाहिए?

3. हाँ, एक व्यक्ति को १८ साल का होने के बाद किसी भी उम्र में अपनी वसीयत बना लेनी चाहिए क्योंकि अनिश्चितताओं के युग में जहाँ दुर्घटनाएं, दिल की बीमारियां, आतंकवादी हमलों के कारण असामयिक मौत 'जीवन का हिस्सा' बन चुकी हैं वहीं दूसरी ओर इसी वजह से कई लोग केवल २५ साल की उम्र में अपना बीमा भी करवा लेते हैं | यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए कम आयु में असामयिक मौत के लिए बीमा करवाता है, तो वसीयत क्यों नहीं बनाता, जो बीमा का दावा या धन/सम्पत्तियों को कैसे बांटा जाए पर एक लिखित निर्देश होता है | इसलिए १८ साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को अपनी वसीयत बना लेनी चाहिए |

प्र.६. वसीयत कैसे लिखें ?

3. वसीयत हाथ से लिखी जा सकती है या टाइप करके बनाई जा सकती है लेकिन टाइप करके तैयार की गई वसीयत को प्राथमिकता दी जाती है | इसके लिए किसी स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, अतः इसे सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है | व्यक्ति अपनी स्वयं की स्पष्ट भाषा में वसीयत लिख सकता है | वसीयत में अपने परिवार, अपने धन/पूँजियों, अपनी देनदारी, अपनी इच्छाओं, अपने उत्तरदानों (सम्पत्ति बंटवारे की इच्छाओं), दो साक्षियों के नाम, हस्ताक्षर तिथि एवं स्थान, सभी पृष्ठों पर वसीयत तैयार करने वाले व्यक्ति और साक्षियों के हस्ताक्षर जैसी न्यूनतम जानकारी को शामिल किया जा सकता है |

प्र.७. मैं मौखिक वसीयत कब बना सकता हूँ ?

3. यह एक विशेष वसीयत कहलाती है इसकी अनुमति केवल सैनिकों, विमान चालकों, या नौसेना के व्यक्तियों को ही होती है | कुछ मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक मौखिक वसीयत बनाने का अधिकार होता है |

प्र.८. क्या कानून अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है ?

3. हाँ, यह सक्सेशन लॉ से सम्बन्धित है जहां मरने वाले के धर्म के अनुसार अलग अलग कानून लागू होते हैं | उदाहरण के लिए – हिन्दू के लिए हिन्दू सक्सेशन एक्ट, पारसियों और ईसाईयों के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट, मुसलमानों के लिए शरीयत कानून (शिया, सुन्नी, खोजा आदि के लिए विभिन्न कानून) इत्यादि |

प्र.९ वसीयत में गवाहों (साक्षियों) के लिए क्या नियम हैं ?

3. कानून के अनुसार, एक वसीयत बनाते समय कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाने आवश्यक होते हैं। यह जरूरी नहीं कि गवाह आपकी वसीयत को पढ़ें उन्हें सिर्फ इस बात को प्रमाणित करना होता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर उनकी उपस्थिति में किये गए थे | कानून के अनुसार, साक्षियों को वैधता/वसीयत की प्रमाणिकता के लिए कोई भी प्रश्न पूछे जाने के लिए अदालत में बुलाया जा सकता है | आजकल, वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए एक विडियो रिकॉर्डिंग करने की सलाह दी जाती है और क्लिप को पूरे सुरक्षित तरीके से असल वसीयत के साथ रखने को कहा जाता है ताकि यदि वसीयत की वैधता साबित करने की आवश्यकता पड़ती भी है तो यह एक वैधानिक सबूत साबित हो सके | यह सलाह दी जाती है कि गवाहों (साक्षियों) की उम्र वसीयतकर्ता (वसीयत बनाने वाले व्यक्ति) की उम्र से कम होनी चाहिए |

प्र.१० निष्पादक क्या है ? क्या वसीयत के लिए निष्पादक नियुक्त करना जरूरी है ?

3. एक निष्पादक वह व्यक्ति होता है जो अधिकृत रूप से एक वसीयत बनाने वाले व्यक्ति द्वारा वसीयत के अनुसार उसकी सभी इच्छाओं पर कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक निष्पादक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो वसीयत में लाभार्थी हो या कोई अन्य विश्वस्त व्यक्ति भी हो सकता है जैसे पारिवारिक मित्र या वकील या सीए जो वसीयत में इच्छानुसार कार्य करने के लिए परिवार की सहायता करे। एक निष्पादक को नियुक्त करना जरूरी नहीं है हालांकि इसे वरीयता दी जाती है।

प्र.११. क्या एक वसीयत को 'नोटरी द्वारा मान्यीकरण' या 'पंजीकरण' करवाना अनिवार्य है ? इसके क्या फायदे हैं ?

3. नहीं, एक वसीयत को नोटरी द्वारा मान्यीकरण करवाना या पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय वसीयत का पंजीकरण करवा सकता है इसके लिए उप निबंधक कार्यालय (सब रजिस्ट्रार ऑफिस) में कुछ स्कैनिंग शुल्क को छोड़कर अन्य कोई शुल्क प्रभार दिए बिना वसीयत का पंजीकरण किया जाता है यानि ऐसा व्यक्ति जिसने दो गवाहों के सामने अपनी वसीयत लिखी है उसे पंजीकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और उप रजिस्ट्रार (सब रजिस्ट्रार) (सरकारी अधिकारी) की उपस्थिति में एक वसीयत का पंजीकरण करवाना होगा, इससे परिवार/रिश्तेदारों से वसीयत की वैधता पर सवाल पूछे जाने की सम्भावना से बचा जा सकता है। एक वसीयत का पंजीकरण करवाने के लिए, वसीयत बनाने वाले व्यक्ति को असल वसीयत के साथ, एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा जारी नवीनतम मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पते का सबूत लेकर, दो गवाहों के साथ (यह आवश्यक नहीं है कि गवाह वे ही हों जिन्होंने वसीयत पर हस्ताक्षर किये हैं) स्वयं प्रस्तुत होना होगा।
-

प्र.१२. वसीयत में किन किन सम्पत्तियों, या पूंजियों का उल्लेख किया जा सकता है ?

3. एक वसीयत में चल, अचल और प्रत्यक्ष संपत्तियों और पूंजियों समेत सभी देनदारियों/ऋण तथा सभी एकल/संयुक्त सम्पत्तियों, पूंजियों, प्राप्य राशियों का उल्लेख किया जा सकता है। चल सम्पत्तियों में नकदी, गहने, एफडी, बैंक खाते, बीमा पोलिसियाँ, वाहन तथा आपके सभी फर्नीचर और जुड़नार इत्यादि शामिल किये जा सकते हैं। अचल संपत्तियों में आपकी समस्त भूमि, भवन, फ्लैट, दुकान, कार्यालय, भूखंड, और गैराज इत्यादि शामिल किये जा सकते हैं।

प्र.१३. क्या वसीयत में संयुक्त सम्पत्तियों को शामिल किया जा सकता है ?

3. हाँ, किसी भी संयुक्त सम्पत्ति के मालिक को इस बात की अनुमति है कि वह संयुक्त संपत्ति में से अपने हिस्से को लेकर वसीयत में अपनी इच्छा का उल्लेख करे। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पूरी संयुक्त सम्पत्तियों में खुद के हिस्से का उल्लेख करना जरूरी है।

प्र.१४. क्या ऐसी सम्पत्तियों/पूंजियों को भी शामिल किया जा सकता है जिनका नामांकन किया जा चुका है ?

3. हां, कानूनी तौर पर नामांकन केवल एक ऐसी सुविधा है, जिसके माध्यम से एक नामांकित व्यक्ति, मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति पर खुद का दावा कर सकता है और नामांकित व्यक्ति वसीयत के मुताबिक या सक्सेशन एक्ट के अनुसार कानूनी वारिस स्थापित होने तक अस्थायी रूप से उसका एक ट्रस्टी माना जाता है। इसके बाद नामांकित व्यक्ति को उन सम्पत्तियों को कानूनी वारिस के हवाले करना होता है। नामांकित

व्यक्ति (नॉमिनी) को कानूनी वारिस कहा जा सकता है | हालाँकि, इसमें एक अपवाद है इसलिए यदि सम्भव हो तो एक वसीयत में व्यक्ति को सभी नामांकन (नाम निर्देशन) स्पष्ट कर देने चाहिए |

प्र.१५. क्या एक वसीयत में किराये की सम्पत्ति/ किरायेदारी के अधिकार को शामिल किया जा सकता है ?

- उ. नहीं, किरायेदारी का अधिकार एक सम्पत्ति या पूँजी नहीं है इसलिए इसकी वसीयत नहीं की जा सकती है |

प्र.१६. क्या एक पट्टे के अधिकार को एक वसीयत में शामिल किया जा सकता है ?

- उ. हाँ, वसीयत में एक पट्टे के अधिकार को शामिल किये जाने की अनुमति है |

प्र.१७ क्या अतीत में एक पैतृक या उसका कानूनी वारिस के रूप में मिली सम्पत्तियों की वसीयत बनाने की अनुमति दी जा सकती है ?

- उ. ऐसी पैतृक सम्पत्तियां जिसमें हक/मालिकाना हक कानूनी तौर पर प्राप्त हों उनकी वसीयत बनाने की अनुमति है |

प्र.१८. क्या आपके कारोबार की स्वामित्व की वसीयत की जा सकती है ?

- उ. हाँ, किसी कारोबार में मालिक के रूप में स्वामित्व की या किसी कंपनी में मालिक के हिस्सों की वसीयत की जा सकती है। किसी कारोबार के पार्टनर के रूप में उसके हिस्से की वसीयत, एक साझेनामे में शर्तों (यदि कोई हो तो) के अनुसार की जा सकती है |

प्र.१९. क्या एचयूएफ में हिस्सेदारी की वसीयत करने की अनुमति है ?

- उ. हां, एचयूएफ (हिन्दू संयुक्त परिवार) में हिस्सेदारी की वसीयत की जा सकती है |

प्र.२०. कौनसी अन्य संपत्तियां/पूँजियां वसीयत में लिखी जा सकती हैं ?

- उ. एक व्यक्ति अपने पालतू जानवरों, चित्रों, पुरानी वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों, फर्नीचर व जुड़नारों, बौद्धिक सम्पदाओं जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, सोशल मीडिया अकाउंट, निजी सामानों, किताबों इत्यादि की वसीयत कर सकता है |

प्र. २१. नाबालिग बच्चों को कैसे संरक्षित करें ?

- उ. एक व्यक्ति नाबालिग बच्चों के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को नामांकित कर सकता है और ऐसे अभिभावक नाबालिग बच्चों की देखभाल करने और उनकी वसीयत के हिस्सों को संरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होंगे | कई बार लोग वसीयत के ज़रिये सभी कानूनी वारिसों, दोस्तों, रिश्तेदारों, या धर्मार्थ प्रयोजनों को लाभ देने के लिए एक ट्रस्ट भी तैयार करते हैं |

प्र.२२. उन सम्पत्तियों और भविष्य की सम्पत्तियों के बारे में क्या, जिसका उल्लेख वसीयत में करना भूल गए थे/रह गया था?

3. सम्पत्ति या आवासीय सम्पत्ति के लिए वसीयत में एक जनरल क्लॉज़ को शामिल किया जा सकता है जिसमें यह निर्दिष्ट हो कि 'आवासीय सम्पत्ति' किसे देना है और 'भविष्य की सम्पत्ति' के लिए भी इसी तरह का एक जनरल क्लॉज़ जोड़ा जा सकता है ।

प्र.२३. क्या वसीयत को भविष्य में कुछ जोड़ने/हटाने के लिए बदला जाता है या एक नई वसीयत बनाई जा सकती है ?

3. एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार एक नई वसीयत बना सकता है या उसमें कोई भी बदलाव के लिए कोडपत्र (वसीयत का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र) तैयार कर सकता है जो मुख्य वसीयत की ही एक पूरक होती है । लेकिन, वसीयत में इस बात को दर्शाना जरूरी है कि 'यह मेरी नवीनतम (हाल ही की) वसीयत है और मेरी पिछली सभी वसीयतों को, यदि कोई हो तो, रद्द माना जाए' क्योंकि कानूनी तौर पर आखिरी वसीयत ही वैध होती है ।

प्र. २४. एक वसीयत को कहाँ रखा/संजोया जाए -?

3. कानूनी तौर पर वसीयत को किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है । हालाँकि, वसीयत को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है जहाँ इसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके और जो आपकी मौत के बाद आसानी से आपके परिवार वालों को मिल सके । इसे तिजोरी में सुरक्षित या विश्वस्त व्यक्ति के पास या व्यावसायिकों जैसे बैंकर या वकील के पास रखा जा सकता है जो आपकी मौत के बाद निष्पादक को सूचित करेंगे जो फिर आवश्यक कदम उठायेगा । आपकी वसीयत को सुरक्षित रखने के लिए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा संरक्षक सुविधाएं दी जाती हैं ।

प्र.२५. क्या विदेशी देशों की सम्पत्तियों की वसीयत बनाने की अनुमति है ?

3. हाँ है । हालांकि विदेशों में स्थित सम्पत्तियों को उन देशों में स्थित कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ऐसे देशों में वसीयत को प्रभाव में लाने की प्रक्रिया भारत से अलग हो सकती है । इसलिए दो अलग अलग वसीयत तैयार करने की सलाह दी जाती है; एक भारत में सम्पत्तियों के साथ निपटने के लिए और दूसरी विदेशों में स्थित सम्पत्तियों के साथ निपटने के लिए । इस तरह की वसीयतों को समवर्ती वसीयतें कहा जाता है और ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं जब तक कि उन्हें आपस में मिलाया न जाए ।

प्र.२६. क्या पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक ही वसीयत तैयार कर सकते हैं ?

3. हाँ इसकी अनुमति प्रदान की गई है जहाँ पति या पत्नी दोनों किसी और को या एक दूसरे को अपनी सम्पत्तियां देते हैं और अपनी अंतिम वसीयत में उल्लेख करते हैं कि सम्पत्तियां संयुक्त वसीयत के अनुसार परिवार वालों, रिश्तेदारों आदि को बांटी जा सकती हैं । हालांकि इस तरह की संयुक्त वसीयत केवल दोनों की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आती है न कि दोनों में किसी एक के जीवनकाल के दौरान । कई बार पति और पत्नी 'मिरर वसीयत' तैयार करते हैं जो एक अलग तरह की वसीयत होती है जहाँ पति या पत्नी अपनी सम्पत्ति एक दूसरे को देते हैं ।

प्र.२७ वसीयत के लाभार्थी (व्यक्ति जिनके नाम वसीयत होनी है) कौन हो सकते हैं ?

3. एक लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे वसीयत के अनुसार सम्पत्तियां बांटी जाती हैं या नामे की जाती हैं यानि एक ऐसा व्यक्ति जिसे वसीयत का लाभ मिलता है लाभार्थी कहलाता है । कोई भी व्यक्ति, निकाय, ट्रस्ट, चैरिटेबल संस्थान, समाज आदि वसीयत के लाभार्थी हो सकते हैं । आपकी वसीयत के अनुसार लाभार्थी आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त, नौकर आदि भी हो सकते हैं और आप अपनी सम्पत्ति का बंटवारा इच्छानुसार कर सकते हैं । हालाँकि यदि आपके करीबी रिश्तेदार हो जिन्हें आप अपनी सम्पत्ति देना चाहते हैं और चैरिटेबल प्रयोजन के लिए भी पूँजी देना चाहते हैं तो कानून में इस प्रक्रिया की भी व्यवस्था है । यह प्रतिबन्ध पारसी के मामले में लागू नहीं होता जो अपनी सारी संपत्ति चैरिटी को दान दे सकते हैं ।

प्र.२८ कानूनी वारिस किसे कहा जा सकता है ?

3. कानूनी वारिस एक ऐसा व्यक्ति (पुरुष या महिला) हो सकता है; जो सक्सेशन के पर्सनल लॉ के तहत मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति का हकदार होता है । हिन्दू सक्सेशन एक्ट के तहत – अगर कोई वसीयत नहीं की गई है तो सम्पत्तियां श्रेणी १ के कानूनी वारिसों को बराबर हिस्सों में बांटी जाती हैं । यदि श्रेणी १ के कानूनी वारिस न हों तो इस स्थिति में सम्पत्तियां श्रेणी २ के कानूनी वारिसों को बराबर हिस्सों में बांटी जाती हैं । यदि श्रेणी २ के कानूनी वारिस भी न हों तो सम्पत्तियां पिता के पक्ष वालों और फिर अंततः माता के पक्ष वालों को दी जाती हैं । और यदि कोई भी न हो – तो पूरी सम्पत्ति सरकार द्वारा ले ली जाती है ।

प्र. २९. वसीयत को रद्द कब और कैसे किया जाता है ?

3. एक व्यक्ति अपनी नई वसीयत बना सकता है या किसी भी समय वसीयत को रद्द भी कर सकता है । एक बार वसीयत बनने के बाद सभी पुरानी/भूतपूर्व वसीयतें रद्द हो जाती हैं । वसीयत निम्न तरीकों से रद्द की जा सकती है :
- i) उसके बाद की एक और वसीयत बनाकर;
 - ii) वसीयत को रद्द करने का इरादा बताकर व लिखकर;
 - iii) वसीयत को जलाकर, फाड़कर या फिर नष्ट करके;
-

प्र.३०. क्या मुझे या मेरे कानूनी वारिसों को वसीयत के अधीन सम्पत्तियों पर आयकर या अन्य करों का भुगतान करना पड़ेगा ?

3. नहीं, आज की तारीख में वसीयत के अधीन प्राप्त की गई किसी भी सम्पत्ति पर न ही पूंजीगत लाभ कर (टैक्स) और न ही कोई अन्य कर लगता है । पहले एक एस्टेट ड्यूटी कर होता था जिसे बंद कर दिया गया है ।

प्र.३१. वसीयत के मामलों में मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान क्या क्या हैं ?

3. मुस्लिमों को मुख्य रूप से वसीयत और उत्तराधिकार के संबंध में पर्सनल लॉ के अधीन रखा जाता है और उन पर भारत में जनरल सक्सेशन लॉ जिसे इंडियन सक्सेशन कहते हैं, का केवल कुछ ही अंश लागू होता है । ज्यादातर मामलों में, मुस्लिम अपनी संपत्तियों का केवल १/३ हिस्से की ही वसीयत कर सकते हैं और शेष बची हुई संपत्तियां शरियत कानून के अनुसार इन टेस्टेड सक्सेशन के अनुसार बांटी जाती हैं ।

प्र.३२. वसीयत के मामलों में इसाई, पारसी और यहूदियों के लिए विशेष प्रावधान क्या हैं ?

- उ. इसाई और पारसी के मामलों में विवाह के बाद वसीयत रद्द हो जाती है | एक पारसी को अपनी सारी सम्पत्ति अपनी इच्छा से दान में देने का अधिकार होता है |

प्र.३३. वसीयत का प्रोबेट (मृतलेख का प्रमाण) क्या होता है ? क्या यह सभी वसीयतों के लिए अनिवार्य है ?

- उ. प्रोबेट आपकी वसीयत की वैधता को साबित करने के बाद एक न्यायलय द्वारा जारी एक कानूनी प्रमाणपत्र होता है | वसीयत में नामांकित एक निष्पादक प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकता है | जब अदालत प्रोबेट को स्वीकार करती है या वसीयत को प्रमाणित करती है तो निष्पादक को वसीयत लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है | प्रोबेट, हमेशा जरूरी नहीं होता, परन्तु जब अचल संपत्तियां या पूँजियाँ अधिक कीमतों की होती हैं तब किसी भी विवाद से बचने के लिए मालिकाना हक बदले जाने से पहले, प्रोबेट पर जोर दिया जाता है |

प्र.३४ क्या होगा यदि कोई वसीयत न हो, तब कानूनी वारिस कैसे स्थापित किया जाएगा ?

- उ. यदि केवल चल सम्पत्ति हो और वसीयत न हो तो एक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र कोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति के पास अचल सम्पत्ति हो और वसीयत न हो तो इस तरह के मामले में भी कोर्ट प्रशासन द्वारा पत्र प्राप्त किया जा सकता है | जिसे लैटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं |

प्र.३५. लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति के बीच क्या अंतर है ?

- उ. नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) सम्पत्ति का केवल एक ट्रस्टी होता है और उसे यह सम्पत्ति कानूनी वारिस को सौंपना होता है और लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जो वसीयत के अनुसार सम्पत्ति प्राप्त करता है |

प्र.३६. वसीयत के मुताबिक सम्पत्ति का वितरण कब किया जाता है ?

- उ. वसीयत के मुताबिक सम्पत्ति केवल वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही बांटी जा सकती है |

प्र.३७. क्या एक वसीयत तैयार करने के लिए एक वकील की सहायता लेना जरूरी है ?

- उ. नहीं है, एक साधारण वसीयत तैयार करने के लिए एक व्यक्ति सभी सावधानियां बरतकर खुद ही इसे तैयार कर सकता है लेकिन, परिवारजनों/रिश्तेदारों के बीच झगड़ों, अनावश्यक गलतफहमियों आदि से बचने के लिए, एक व्यक्ति को वसीयत में कोई अस्पष्टता या विरोधाभास कथनों के उपयोग से बचकर अपने शब्दों में सावधानी बरतनी चाहिए |